न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री अनिल कोठारी पिता श्री गेहरीलाल जी कोठारी निवासी 1–डी माछलामगरा स्कीम, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री देवेन्द्र नाहर पिता श्र करणसिंह जी नाहर निवासी 301 सन्दरम, सुखाड़िया सर्कल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री अमरचन्द पिता श्री तेजा जी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री गेहरीलाल पिता श्री तेजाजी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती वक्तु पिता श्री तेजा जी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री राजकुमार पिता श्री दुदालाल जी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. मु. केशरबाई बेवा श्री दूदा लाल जी डांगी निवासी दरोली तहीसल वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री कमलेन्द्र सिंह मृतक के बजाय :–

   6/1– श्रीमती निर्मल कुंवर पत्नी स्व. श्री कमलेन्द्र सिंह जी राव (राजपूत) निवासी बाठेड़ा कला, हाल बाठरड़ा हाऊस फतहपुरा, उदयपुर

   6/2– श्री मयुरध्वजसिंह पिता स्व. श्री कमलेन्द्रसिंह जी राव (राजपूत) निवासी बाठेड़ा कला, हाल बाठरड़ा हाऊस, फतहपुरा उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 24–12–2012 प्रकरण संख्या 211/2012 राजस्व वाद

————

उपस्थित :–1– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री रोशनलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4 व 5

3– श्री डालचन्द जी पोखरना अभिभाषक रेस्पोन्ट संख्या–6

———/———

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6 प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद पेश कर विवादित आराजीयात ग्राम सराय का वादीगण के पूर्वज तेजा जी द्वारा प्रतिवादी से क्रय करना बताते हुए प्रतिवादी का भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होने तथा अब तेजाजी के वारिसान वादीगण का उक्त भूमि में स्वामित्व होना वर्णित किया। वादी ने कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 7–1–1977 प्रतिवादी के कामगार जयसिंह जी ने अपने पास रख लिया तथा जयसिंह झाला की मृत्यु हो गई, लिखापढ़ी उन्होंने ही की थी, विक्रय पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। विक्रय पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं है, परन्तु प्रतिकूल कब्जे से भी वे खातेदार हो गये है तथा उनकी खतेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाब दिया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्लीडिंग्स व वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिनांक 24–12–2012 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–2–2014 को पेश की। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें सुने बिना निर्णय पारित किया है तथा वादीगण द्वारा दिनांक 8–1–2014 को डिक्री की आड़ में दखलन्दाजी करने से उन्हें निर्णय की जानकारी हुई है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अधिनस्थ न्यायाल के के निर्णय की उन्हें पूर्व जानकारी होने के कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतएव मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का भी आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 17 रकबा

14 बीघा 1 बिस्वा में वादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा जमाबन्दी एग्जीबीट–1 स्वयं से वह विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार/सह–खातेदार है तथा उन्हें सुने बिना व सूचित किये बिना हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद डिक्री जारी की गई है। अतएव उन्हें अपील प्रस्तुत करने की मंजूरी दी जाय। अपीलान्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड सह–खातेदार है तथा आवश्यक, हितबद्ध व व्यथित पक्षकार है। अतएव उन्हें अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना की अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 व 5 की और से अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी ने उपस्थिति दी पर दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम की और से अधिवक्ता श्री डालचनन्द पोखरना उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है तथा बिना विशिष्ठियों की भूमि का वाद पेश होकर डिक्री हुआ है। भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। वादी रेस्पोन्डेन्ट को खातेदारी दिये जाने के कोई आधार नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी संख्या 17 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा में से आराजी नंबर 17 में रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार है। शेष भूमि के खातेदार रेस्पोन्डेन्ट

संख्या–6 है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 विक्रेता द्वारा निष्पादित कोई विकय पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है, सिर्फ एक चार लाईनो का सादे कागज पर जिसमें यह विवादित आराजी का विक्रय होना भी वर्णित नहीं है, उसे तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र व प्रतिकूल कब्जे दोनों के आधार साथ होने के अवधिक तथ्यों पर गौर नहीं किया है। विक्रय पत्र को अन–रजिस्टर्ड भी उपलब्ध नहीं है तो विक्रय पत्र के आधार पर तो खातेदारी दी ही नहीं जा सकती। विक्रेता की विक्रय सहमति से केता को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, जब तक कि कोई विक्रय पत्र या विधिक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, माानीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित कर दिया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतएव प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई घोषणात्मक निर्णय व डिक्री अविधिक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से पूर्णतया दूषित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट वादीगण के पक्ष में की गई घोषणा को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री अनिल कोठारी पिता श्री गेहरीलाल जी कोठारी निवासी 1–डी माछला मगरा स्कीम तहसील गिर्वा उदयपुर अन्य–1

बनाम

1– श्री अमरचन्द पिता श्री तेजा जी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर अन्य–6

अपील नं0 **07/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **वल्लभनगर.....** मुकाम मुक्र्खे.....**24**.....माह.....**12**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**19**..... माह .....**04**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री पन्नालाल मारू .....** मिनजानिब अपीलान्ट व .. ..**श्री डी. सी. पोखरना** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट वादीगण के पक्ष में की गई घोषणा को निरस्त किया जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**19**..... माह ...**04**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।